न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सरवाड़ जिला अजमेर

प्रार्थना पत्र संख्या 139/2015

1. श्री शंकर पुत्र मोहनलाल जाति कहार निवासी सरवाड़ तहसील सरवाड़ जिला अजमेर।
—प्रार्थी

बनाम

2. श्री लालाराम पुत्र चन्द्रा।
3. श्री मोहन पुत्र चन्द्रा।
4. श्री मिठुलाल पुत्र चन्द्रा।
5. श्री मोहनी पुत्री चन्द्रा।
   समस्त जातिगण कहार निवासीगण सरवाड़ तहसील सरवाड़ जिला अजमेर।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सरवाड़ जिला अजमेर।

— अप्रार्थीगण

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

वकील 1. श्री दौलत सिंह राठौड़, प्रार्थी।

2. श्री शैलेन्द्र जैन, अप्रार्थी।

निर्णय दिनांकः— 25.11.2019

संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 का न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है। वर्णित आराजी मौजा ग्राम सरवाड़ तहसील सरवाड़ में स्थित है जिसक विवरण निम्न प्रकार से है।

खाता सं.	खसरा नं.	रकबा	किस्म
1513—677	3177	04—11—00	न. 1
	3184	01—15—00	बं. 1
	3186	02—06—00	बं. 2
	3196	01—02—00	छापर 1
	3198	03—06—00	न. 3

कुल किता 5 रकबा 13—00—00 बीघा भूमि में प्रार्थी का 1/2 हिस्सा निहित है। यह कि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण सं. 1 लगायत 4 वाद वर्णित आराजीयात में अपने—अपने हिस्से अनुसार काबिज काश्त होकर अपने हिस्से पर कृषि उपज प्राप्त करते चले आ रहे है। यह कि वाद ग्रस्त आराजीयात का मौके पर पारस्परिक सहमति के आधार पर मौखिक रूप से बंटवारा हो रखा है एवं उक्त बंटवारे अनुसार प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं. 1 लगायत 4 काबिज है। यह कि अप्रार्थीगणों की नियत बद है एवं ऐन केन प्रकारेण प्रार्थी को बेदखल कर प्रार्थी की वाद वर्णित

उपखण्ड अधिकारी
सरवाड़ (अजमेर)

Scanned by CamScanner

आराजीयात को हड़पने पर आमादा है इसी आशय से प्रार्थी की आराजी पर हकाई जुताई करने पर आमादा है। यह कि प्रार्थी द्वारा अपने मौखिक बंटवारे अनुसार अपने हिस्से पर डोल डलवाना चाहा तो अप्रार्थीगण ने प्रार्थी को अपने हिस्से पर डोल नहीं डालने दी तब प्रार्थी द्वारा ऐसा नहीं करने हेतु निवेदन किया परंतु अप्रार्थीगणों ने एलानियां धमकी दी की तेरे हिस्से की जमीन को हम हडप कर रहेगें। यह कि प्रार्थी ने अपने हिस्से को बंटवारा कर अलग करने हेतु अप्रार्थीगणों से निवेदन किया परंतु वे नहीं माने जिससे प्रार्थी को अपने हक एवं हिस्से की आराजीयात में काश्त करना दुर्भर हो रहा है। यह कि अप्रार्थीगण सं. 1 लगायत 4 में संयुक्त खातेदार होने के कारण प्रार्थी को अपने हिस्से की आराजीयात पर काश्त करने में व्यवधान कारित कर रहे है जिससे अप्रार्थीगणों को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने का निवेदन किया। यह कि प्रार्थी का प्राईमा पैसाई केस है तथा सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है एवं अपूर्तनीय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में है यदि अप्रार्थीगणों को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद नहीं किया गया तो प्रार्थी को अजहद क्षति होगी।

प्रार्थी द्वारा निम्न दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए गएः—

- प्रमाणित प्रतिलिपी जमाबंदी ग्राम सरवाड़ संवत् 2070—2073

अप्रार्थी को जरिए नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। प्रार्थना पत्र पर बहस उभयपक्ष सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया कि विवादित आराजी पैतृक सम्पति है जिसमें प्रार्थी का 1/2 हिस्सा है। विवादित आराजी पर प्रार्थी व अप्रार्थी के हिस्से पर पूर्व में ही बंटवारा कर रखा है एवं उसी के अनुसार कब्जा काश्त है। अप्रार्थी द्वारा मेरे हिस्से पर दखलंदाजी की जाकर निर्माण कार्य करवाया जा रहा है। अतः अप्रार्थी को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाए।

अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया कि विवादित आराजी पर प्रार्थी व अप्रार्थी सहखातेदार है। अप्रार्थी द्वारा विवादित आराजी का हस्तांतरण नहीं किया जा रहा है। रहन बेचान पर अस्थायी निषेधाज्ञा बाबत् कोई आपत्ति नहीं है। शेष तथ्य दावें में तय किए जा सकेगें।

प्रकरण में उभयपक्ष बहस के तथ्यों, प्रार्थना पत्र व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों पर गहन विधिक मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी ग्राम सरवाड़ से स्पष्ट है कि प्रार्थी व अप्रार्थी विवादित आराजी में सहखातेदार है। अतः पृथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी व अप्रार्थी के पक्ष में समान रूप से प्रतीत होता है।

विवादित आराजी में प्रार्थी व अप्रार्थी पूर्व के सहमति से मौखिक बंटवारे के अनुसार ही कब्जा काश्त है एवं अप्रार्थी द्वारा इस तथ्य को अस्वीकार नहीं किया गया है। अतः सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है।

यदि प्रार्थी के हिस्से के कब्जे काश्त भूमि पर व्यवधान उत्पन्न किया जाता है तो प्रार्थी को अपूर्तनीय क्षति की संभावना है।

उपखण्ड अधिकारी
सरवाड़ (अजमेर)

Scanned by CamScanner

प्रार्थी को विवादित आराजी या उसके हिस्से पर क्या हक अख्त्यार है या होने चाहिए इसका विनिश्चय मूलवाद पर सम्यक साक्ष्योपंरात तथा सम्यक विचारण उपरांत विधि अनुसार मेरिट पर तय किया जाना है।

पक्षकारों के मध्य वाद बाहुल्य की संभावना को कम करने तथा पक्षकारान् के विधिक स्वत्व की रक्षार्थ प्रार्थी प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित पाया जाता है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि अप्रार्थीगण खसरा नम्बर 3177, 3184, 3186, 3196, 3198 की भूमि के मौके व रिकॉर्ड की यथास्थिति मूलवाद के निस्तारण तक बनाए रखें।

पत्रावली बाद तामील तकमील व तरमीम नंबर से कम की जावे तथा निर्णित में गणना की जाकर मूलवाद के साथ संलग्न रहे।

निर्णय आज दिनांक 04.11.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(तारामती वैष्णव)
उपखण्ड अधिकारी, सरवाड़

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Taramati Vaishnava
Date: 2020.02.05 14:18:55 IST
Reason: SelfAttested
Location: